

 सत्यमेव जयते	<b>भारत सरकार / Government of India</b> <b>वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance</b> <b>राजस्व विभाग / Department of Revenue</b> <b>कार्यालय / Office of the</b> <b>मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र</b> <b>Chief Commissioner of Central Indirect Taxes &amp; Customs,</b> <b>Nagpur Zone</b> <b>जी. एस. टी. भवन, तेलंगखेड़ी मार्ग / G.S.T. Bhawan, Telangkhedi Road</b> <b>सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 / Civil Lines, Nagpur - 440001</b> <b>Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in</b>	
---	--	---

F. No. GCCO/II/(3)/160/2024-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-NAGPUR

Dated: [Date of Digital Signature]

**स्थापना आदेश क्रमांक. 45/2024**

**ESTABLISHMENT ORDER NO. 45/2024**

इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 37/2024 दिनांक 14.08.2024 की निरंतरता और आंशिक संशोधन में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र के नासिक और औरंगाबाद स्थित संरचनाओं के अधीक्षक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक जारी किये जाते हैं: -

In continuation and in partial modification of Establishment Order No. No. 37/2024 dated 14.08.2024 of this office, the following transfers and postings in the grade of **Superintendent** of Nashik and Aurangabad based formations of Central Indirect Taxes and Customs, Nagpur Zone are hereby ordered with immediate effect and till further orders: -

Sl. No.	Name of the officers (Shri /Smt)	From	To
1	H. P. Sharma	UOT CGST Aurangabad	CGST Nashik
2	Saurabh Shrivastava	Customs Chapter Cell, Nashik	CGST Aurangabad
3	S. S. Kumbhare	Audit Nashik (Nashik Chapter)	Audit Nashik (Aurangabad Chapter)
4	Vijay S. Javeri	Audit Nashik (Aurangabad Chapter)	Audit Nashik (Nashik Chapter)

- आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा की जाएगी। तैनाति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील और गैर-संवेदनशील तैनाति के लिए रोटेशन की मौजूदा नीति का पालन किया जाए। अधिकारियों की तैनाति करते समय, नीति और पोस्टिंग के इतिहास के अनुसार उनके स्टेशन की प्राथमिकता पर विधिवत विचार किया जाए। क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड के पत्र एफ. संख्या C-3013/79/2015-Ad.IVA (Vol.L.7) दिनांक 17.07.2018 के अनुसार किसी भी अधिकारी को संवेदनशील पद पर 3 वर्ष से अधिक न रखा जाए।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerate will be made by

jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner. While doing the posting, it shall be ensured that the existing policy of rotation to sensitive and non-sensitive postings shall be adhered to. While posting the officers, their station preference as per policy & history of posting may be duly considered. The jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner shall ensure that no officer is kept beyond 3 years in sensitive post in terms of Board's letter F. No. C-3013/79/2015-Ad.IVA (VolL.7) dated 17.07.2018.

3. पदस्थापना आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि ऊपर दिए गए किसी भी अधिकारी का नाम सतर्कता की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है, तो उसे संवेदनशील प्रभार में तैनात न किया जाए।

While issuing posting orders, it shall be ensured that if any of the officers whose name has figured above is not clear from Vigilance angle, he / she should not be posted to a sensitive charge.

4. स्थानांतरित अधिकारी अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध मामलों की सूची तैयार कर कार्यभार ग्रहण करने वाले आने वाले अधिकारी को सौंप दें तथा उसकी प्रतिलिपि नियंत्रण अधिकारी को सौंप दें। कार्यभार सौंपने वाले अधिकारी, DoP&T के OM संख्या 13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) दिनांक 26.09.2024 के संदर्भ में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी के लिए एक नोट भी तैयार करें।

The transferred officers should prepare a list of all important and time bound matters under their charge and hand over the same to the incoming officer taking over the charge with copy to the controlling officer. The officers handling over the charge shall also prepare a note for the successor in terms of DoP&T's OM. No.13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) dated 26.09.2014.

5. अधिकारियों के उनके नए तैनाति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, किसी भी तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के उचित माध्यम से आए किसी भी अभ्यावेदन पर नई तैनाति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

No representation whatsoever shall be entertained before the officers join at their new place of posting. Any representation from the officers through proper channel will be entertained only after joining in new place of posting.

6. इस कार्यालय में स्थानांतरण / प्रतिधारण / रोटेशन हेतु अब तक प्राप्त अधिकारियों के सभी अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया गया है।

All the representations of the officers received in this office for transfer / retention / rotation till date have been disposed of.

7. सभी स्थानांतरित अधिकारियों को **10.09.2024** या उससे पहले कार्यमुक्त किया जाए।

All the transferred officers must be relieved on or before **10.09.2024**.

8. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(Nem Singh)  
Additional Commissioner (CCO)

Copy to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई जोन को, कृपया सूचना हेतु।  
The Principal Chief Commissioner / Chief Commissioner, CGST, Customs & Central Excise, Mumbai Zone, for kind information please.
2. आयुक्त, सी.जी.एस.टी. नासिक, लेखा परीक्षा नासिक तथा सी.जी.एस.टी. औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।  
The Commissioner, CGST Nashik, Audit Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for information and necessary action please.
3. अपर / संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क चैप्टर सेल, नासिक को, कृपया सूचना हेतु।  
The Additional / Joint Commissioner, Customs Chapter Cell, Nashik, for information please.
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर जोन, सी.जी.एस.टी. नासिक, लेखा परीक्षा नासिक तथा सी.जी.एस.टी. औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST & Central Excise, Nagpur Zone, CGST Nashik, Audit Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for information and necessary action please.

5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नासिक और औरंगाबाद को, कृपया सूचना हेतु।  
The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nashik and Aurangabad, for information please.
6. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट [www.cgstnagpur.gov.in](http://www.cgstnagpur.gov.in) से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website [www.cgstnagpur.gov.in](http://www.cgstnagpur.gov.in) for his / her records and compliance.

7. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।  
The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading

on Official Website.

8. गार्ड फ़ाइल।  
Guard File.